

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(11)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

50 MAY 2018

--:अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 16 की उपधारा(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(20)न्याय/83 दिनांक 10.10.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, लक्ष्मणगढ़ जिला अलावर के शिविर गोविन्दगढ़ की अवधि प्रत्येक माह में एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस से बढ़ाकर प्रत्येक माह में दो एकान्तर सप्ताह निर्धारित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,



30/5/18

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./III/21/2001/ 681

DATE : 5/06/2018

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
- 2.Concerned District and Sessions Judge.
- 3.Concerned Chief Judicial Magistrate.
- 4.Concerned court.
- 5.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.



REGISTRAR (RULES)